रुपये की राशि से बहुत कम राशि राहत के रूप में दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उक्त योजना को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा दिए गए अल्पावधिक और सावधि ऋणों पर 2.10.1989 तक की अतिदेय राशियों के लिए पात्र ऋणकर्ताओं को कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण राहत प्रदान की गई थी। सहकारी समितियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रदान की गई राहत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	उन हिताधिकारियों की संख्या जिन्हें राहत प्रदान की गई	ऋण राहत की राशि
राज्य सहकारी बैंक	33.84 लाख	545.95 करोड़ रुपए
राज्य भूमि विकास बैंक	3.03 लाख	101.33 करोड़ रुपए

किसी ऋणकर्ता की अतिदेय राशि को ध्यान में रखते हुए राहत की निश्चित राशि अलग-अलग ऋणकर्ता के मामले में अलग-अलग तथा अलग-अलग बैंक की अलग-अलग होगी और इस प्रकार किसी एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की तुलना में कम राहत प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

यह योजना 31.3.1991 को समाप्त हो गई है।

Entrusting implementation of R.L.D.Cs. to N.P.T.C.

*342. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to entrust the implementation of all future unified Regional Load Despatch Centres in the country to the National Power Transmission Corporation;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) what are the reasons for World Bank's concern with N.P.T.C's performance; and

(d) what is the total unutilised aid in the power sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Government has decided to entrust only the construction of future unified load despatch & communication facilities in the country to National Power Transmission Corporation in consultation with the concerned States.

(b) The work relating to the construction of future unified Load Despatch and Communication facilities in the country has been included in the functions of NPTC from the point of view of ensuring compatibility of equipment / system at the regional and State levels and better coordination in implementation of the entire scheme.

(c) World Bank's concern emanates from the financial support extended for the transmission projects presently managed by the NPTC.

(d) The unutilised amount of World Bank assistance for power projects is US $ 3739.527 million (upto Feb., 1992).

देश में पवन से बिजली का उत्पादन

*343. **श्री रणजीत सिंह:**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1992 के "इकोनामिक टाइम्स" में "इनसेन्टिव्ज फार इन्वेस्टमेन्ट इन विंड पावर जेनेरेशन" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में पवन से बिजली के उत्पादन की कुल कितनी क्षमता है;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षमता में वृद्धि करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी हां।

(ख) 31.12.1991 तक 38.3 मे०वा० की कुल क्षमता प्रारंभ की गई और इसे संबंधित राज्य ग्रिडों से जोड़ा गया। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में लगभग 25 मे०वा० की कुल क्षमता के पवन विद्युत जनित्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) पवन विद्युत उत्पादन क्षमता को 400 मे०वा० तक बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में प्रस्ताव है जिसे कि अभी अंतिम रूप दिया जाना है। प्रस्तावित 400 मे०वा० की क्षमता में वे पवन फार्म परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें राज्य एजेंसियों, निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और अलग-अलग ग्रिडों से जुड़ी हुई मशीनों से कार्यान्वित किया जाना है।

पवन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकृष्ट करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा टैक्स लाभ जैसे कि स्थापना के वर्ष में 100% की दर पर बढ़ी हुई ह्रास; उत्पाद शुल्क में छूट; और पवन विद्युत जनित्रों के चरणबद्ध उत्पादन के लिए विनिर्दिष्ट संघटकों पर सीमा कर में छूट। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) के माध्यम से निजी उद्यमियों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध है।

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जैसे कि पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन और उसका संग्रह करना तथा उचित दरों पर फालतू बिजली खरीदना। इसलिए उद्योग राज्य में किसी भी पवन वेग वाले स्थल पर पवन विद्युत उत्पन्न कर सकेंगे और बिजली उत्पन्न करने के लिए मामूली से प्रभार की कटौती के बाद इस प्रकार उत्पन्न की गई बिजली को अपने अपेक्षित स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्न की गई बिजली किसी निश्चित अवधि के लिए ग्रिड में भी संचित की जा सकती है जिसे बाद में नगण्य लागत पर बिल के समायोजन के द्वारा पुनः ली जा सकती है। कुछ राज्य पूंजीगत आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं और बिक्रीकर से भी छूट देते हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० (भेल) ने जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, तीन अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों ने पवन विद्युत जनित्रों के देश में ही विनिर्माण करने के लिए कार्यवाही की है। 55 कि०वा० और 200-250 कि०वा० मशीनों ने चरणबद्ध विनिर्माण पहले ही शुरू कर दिया गया है।

Private sector's participation in power generation

*344. SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received proposals from the private sector to generate 8000 MW of electricity involving Rs. 20,000 crores;

(b) if so, what is the component of local private and foreign investment proposed therein;

(c) what is the estimated return on the capital invested;

(d) what would be the likely tariff for industrial and domestic consumers; and

(e) whether private sector would participate in generation and as well as in distribution of power?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) The proposed investments expected are:—

(i) Rs. 8108 crores from foreign companies;

(ii) Rs. 1415 crores from Non-Resident Indians;

(iii) Rs. 10585 crores from private entrepreneurs in India.

(c) and (d) These will be reflected in the project proposals when they are finally approved.

(e) Yes, Sir.

Plans to meet power shortage in Delhi

*345. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) what are the plans of Government to meet the power requirement in the capital in coming summer season; and

(b) whether Government propose to solve the problem of power shortage in Delhi on a permanent basis?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) The power requirment in the capital during coming summer season is likely to be met satisfactorily from the generating stations of DESU, supplies from the Badarpur Thermal Power Station and necessary assistance from the Northern Grid. In order to cope with the increasing demand, DESU has already planned installation of 3 × 34.07 MW Waste Heat Recovery Units at the